फा.सं.4/13/2022-अ.भा.से.

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069.

अखिल भारतीय सेवा शाखा

*****

दिनांक : 26 सितम्बर, 2023

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार
   गृह मंत्रालय
   नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

   (ध्यानाकर्षण : श्री ए. के. सरन, संयुक्त सचिव)

2. सभी राज्यों के मुख्य सचिव

विषय : पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए आयोग के दिशा-निर्देशों में संशोधन- तत्संबंधी ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996 में दिए गए आदेश दिनांक 22.09.2006 एवं 11.01.2007 के कार्यान्वयन में, आयोग ने वर्ष 2009 में दिशा-निर्देश तैयार किए थे जिनमें राज्यों के पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति के लिए अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई थी।

2. संशोधित दिशा-निर्देश, वर्ष 2009 में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों एवं आयोग के निर्णय दिनांक 22.05.2019 के अधिक्रमण में हैं।

3. संशोधित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)

22 सितम्बर, 2023 के अनुसार यथासंशोधित

फा.सं.4/13/2022-अ.भा.से.

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069.

अखिल भारतीय सेवा शाखा

*****

पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

1. **एमपैनलमेंट समिति की संरचना**

राज्य सरकार में डीजीपी (पुलिस प्रमुख) की नियुक्ति हेतु अधिकरियों का पैनल तैयार करने के लिए गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(I) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष।

(II) गृह सचिव, भारत सरकार या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो विशेष सचिव, भारत सरकार के रैंक से कम ना हों।

(III) संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव ।

(IV) संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक।

(V) भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा नामांकित सीपीओ /सीपीएमएफ प्रमुखों में से कोई अधिकारी जो उस संवर्ग से संबंधित न हों जिसके लिए चयन किया जा रहा है।

आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। समिति की कार्यवाही तभी मान्य होगी जब आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बैठक में उपस्थित हों तथा समिति के सदस्यों में से आधे से अधिक ने बैठक में भाग लिया हो।

2. **विचारार्थ क्षेत्र**

(क) सामान्य विचारार्थ क्षेत्र में वे अधिकारी शामिल होंगे जो राज्य संवर्ग में पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-16 के धारक होंगे ।

अशोक

(ख) जहां किसी राज्य में पुलिस महानिदेशक, पुलिस बल प्रमुख [संक्षेप में डी जी पी (पुलिस बल प्रमुख) का पैनल बनाने के लिए स्तर-16 का कोई भी पात्र अधिकारी विचार के लिए नहीं है या एमपेनलमेंट समिति किसी भी अधिकारी को पैनल में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, तो विचारार्थ क्षेत्र वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 में राज्य संवर्ग में उन सभी ए डी जी पदधारक अधिकारियों से मिलकर बनेगा जिन्होंने रिक्ति, (जिसके लिए पैनल तैयार किगा जाता है) उत्पन्न होने की तारीख को आई पी एस में आबंटन वर्ष की 1 जनवरी से कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। समिति विचार-क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारियों का आकलन करेगी ।

(ग) इसके अतिरिक्त, यदि 30 वर्ष की सेवा वाला स्तर-15 का कोई भी अधिकारी विचार किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो विचारार्थ क्षेत्र, राज्य संवर्ग में सभी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 में ए डी जी पदधारक जिन्होंने रिक्ति, (जिसके लिए पैनल तैयार किया जा रहा है) उत्पन्न होने की तारीख को भा.पु.सेवा में आबंटन होने के वर्ष की 1 जनवरी से कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो, से मिलकर बनेगा । एमपैनलमेंट समिति, विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारियों का आकलन करेगी ।

(घ) पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर रिक्ति होने की तारीख से अधिकारी (रियों) की छह माह या उससे अधिक समय की सेवा अवधि शेष होनी चाहिए।

3. <u>एमपैनलमेंट के लिए चयन पद्धति</u>

(i) चयन मेरिट आधारित होगा,

(ii) पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण बहुत अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा।

4. <u>पैनल का आकार</u>

पैनल में शामिल अधिकारियों की संख्या 03 (तीन) से अधिक नहीं होगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करते हुए पैनल में अधिकारियों की संख्या 03 (तीन) से कम भी हो सकती है।

3/2/14

5. <u>आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव</u>

राज्य सरकार, रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम तीन महीने पहले, सभी तरह से पूर्ण, पैनल समिति की बैठक बुलाने के लिए, आयोग को एक प्रस्ताव भेजेगी। प्रस्ताव निम्नलिखित रिकॉर्डों के साथ भेजा जाएगा:

(i) विधिवत रूप से अधिसूचित अधिकारियों की वरिष्ठता सूची।

(ii) पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों की एक सूची। यदि वरिष्ठता सूची में आने वाले कुछ अधिकारियों को इस पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तो तत्संबंधी कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

(iii) विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के जीवन-वृत्त जिसमें उनके द्वारा धारित पद, निष्पादित कार्यों की प्रकृति, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों आदि का उल्लेख हो।

(iv) अधिकारियों को जारी आरोप पत्र की तारीख के साथ अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही, न्यायालय में दर्ज आरोप पत्र का विवरण तथा निलंबन का विवरण, यदि कोई हो।

(V) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों का विवरण जो अभी तक संप्रेषित नहीं की गई हैं / संप्रेषित कर दी गई हैं, लेकिन या तो अभ्यावेदन करने की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है या अधिकारी के अभ्यावेदन पर निर्णय लंबित है।

(VI) अधिकारी के सेवा कैरियर में उस पर लगाए गए दंड का विवरण, यदि कोई हो तथा उसकी अवधि ।

(VII) पात्र अधिकारियों की पूर्ण और अद्यतन ए सी आर डोजियर। ए सी आर की वर्षवार उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण, ए सी आर की अनुपलब्धता, यदि कोई हो, के वैध कारण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, अगर कुछ एसीआर की समीक्षा नहीं की जाती है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो तत्संबंधी वैध कारण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। [इस आशय का प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और संबंधित एसीआर फ़ोल्डर में रखी जानी चाहिए]। यदि कुछ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई हैं, तो राज्य सरकार

के प्रधान सचिव के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

(VIII) न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हों, जिनका पैनल में शामिल अधिकारी होने पर प्रभाव पड़ता हो।

(IX) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 14/23/65-अ.भा.से.(III) दिनांक 28/07/1966 द्वारा निर्धारित अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

(X) क्या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी पात्र अधिकारी के बारे में गृह मंत्रालय से कोई पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न की जाए।

(XI) अधिकारी जो संवर्ग में या प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, की अनिच्छा, यदि कोई हो। यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न की जाए।

6. <u>एमपैनलमेंट समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया</u>

6.1 प्रत्येक समिति, विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता के लिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपनी स्वयं की पद्धति और प्रक्रिया अपनाएगी। समिति अपनी बैठक की तारीख से अधिकारियों की पिछले 10 वर्षों की एसीआर का आकलन करेगी।समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम "बहुत अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किए गए, केवल उन अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। समिति पैनल में शामिल करने के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों के बायोडाटा में परिलक्षित पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए प्रासंगिक अनुभव की सीमा को भी ध्यान में रखेगी। किसी अधिकारी के अनुभव की सीमा पर अनुबंध-। के अनुसार विचार किया जाएगा।

6.2 समिति, अधिकारी पर लगाए गए दंड, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी और पैनल से किसी ऐसे अधिकारी को बाहर कर देगी जो निलंबन के अधीन है या जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक / आपराधिक कार्यवाही लंबित है या जिसका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है या जो पिछले 10 वर्षों के दौरान परिनिंदा के अलावा अन्य दंड या पिछले तीन वर्षों के दौरान दंड या परिनिंदा के तहत रहा है।

6.3 **केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी(रियों) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निकासी/क्लीयरेंस**

यदि पैनल तैयार करने से पहले या एमपैनलमेंट समिति की बैठक (ई सी एम) के दौरान गृह मंत्रालय, राज्य सरकार/आयोग को लिखित में यह सूचित करती है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी(रियों) को डी जी पी (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त करना संभव नहीं होगा तो एमपैनलमेंट समिति ऐसे अधिकारी(रियों) का आकलन नहीं करेगी।

6.4 **संवर्ग में या प्रतिनियुक्ति पर तैनात ऐसे पात्र अधिकारी (रियों) पर विचार जिसने/जिन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की हो**

यदि कोई अधिकारी जो अन्यथा पात्र हो, लिखित में डी जी पी (पुलिस बल प्रमुख) के पद के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है तो एमपैनलमेंट समिति ऐसे अधिकारी (रियों) का आकलन नहीं करेगी।

7. **पैनल से नियुक्ति**

(i) डीजीपी (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जहां राज्य सरकार द्वारा वेतन मैट्रिक्स-15 के अधिकारी को डी जी पी (पुलिस बल प्रमुख) के रूप में वेतन मैट्रिक्स-16 में नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) यदि पैनल में शामिल किसी अधिकारी के विरूद्ध उनकी नियुक्ति से पहले सतर्कता या विभागीय जांच शुरू की गई है, तो उस पर डीजीपी (पुलिस बल प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

*****

3/2/17

अनुबंध-I

पुलिस बल प्रमुख होने के लिए किसी भा.पु.सेवा अधिकारी के अनुभव की सीमा के आकलन के लिए सांकेतिक क्षेत्र

किसी अधिकारी के अनुभव की सीमा पर्याप्त मानी जाएगी यदि वह निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या इससे अधिक क्षेत्रों में 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखता हो :

(i) विधि एवं व्यवस्था जिला/जोन/रेंज

(ii) अपराध शाखा/अपराध अन्वेषण विभाग (सी आई डी), महिलाओं के विरूद्ध अपराध सेल (सी ए डब्ल्यू), आर्थिक अपराध खण्ड (ई ओ डब्ल्यू), साइबर अपराध सेल, गवर्मेंट रेलवे पुलिस (जी आर पी), भ्रष्टाचार/सतर्कता निरोधी

(iii) आसूचना/विशेष शाखा, काउंटर/आतंकवाद विरोधी इकाई, सुरक्षा

(iv) आसूचना ब्यूरो (आई बी)/रिसर्च एनालिसिस विंग (आर एण्ड ए डब्ल्यू)/केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सी बी आई)/ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए)/प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)/केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (एन सी बी)/स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस पी जी)/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स (एन एस जी)/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ)/सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एस वी पी एन पी ए) में प्रतिनियुक्ति।

*****